मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012-कार्तिक 11, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5, सेक्टर अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2012

संशोधन

क्र. 2315.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उप-धारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 की अनुसूची-IV विनयम 6 एवं 14 में यांत्रिकी सेवाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"अनुसूची-IV"

(विनियम-6 एवं 14 देखिए)

क्र.	पद का नाम जिससे	पद का नाम जिस पर	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
1.	यांत्रिकी सेवायें—			
2.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी).	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी).	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि.	—तदैव—
3.	सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी).	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी).	सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा के साथ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि.	—तदैव—

1	2	3	4	5
के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—				
2.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी).	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी).	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि.	—तदैव—
3.	सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी).	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी).	सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि.	—तदैव—

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से
तथा आदेशानुसार.

(190-बी.)

Bhopal, Dated 22nd August, 2012

AMENDMENT

No. 2315.— In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service **(Class I and II)** (Recruitment and Conditions of Service) Regulation, 1996 in Schedule-IV regulation-6 and 14 in Engineering Services as follows :—

"SCHEDULE-IV"

(See Regulation-6 and 14)

S. No.	Name of the post which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Experience & Qualification required	Name of the Member the Promotion Committee
1	2	3	4	5
1. Engineering Services—				
2.	Executive Engineer (Class-I)	Superintending Engineer (Class-I)	Post Graduate Degree in Engineering and 5 years Continuous service as Executive Engineer.	—do—
3.	Assistant Engineer (Class-II)	Executive Engineer (Class-I)	5 years Continuous service as Assistant Engineer (Env.) with Post Graduate Degree in Environmental Engineering.	—do—
In place of above the following shall be substituted namely :—				
2.	Executive Engineer (Class-I)	Superintending Engineer (Class-I)	Graduate Degree in Engineering and 5 years Continuous service as Executive Engineer.	—do—
3.	Assistant Engineer (Class-II)	Executive Engineer (Class-I)	Graduate Degree in Engineering and 5 years Continuous service as Assistant Engineer (Env.)	—do—

For and on behalf of M.P. Pollution Control Board

R. K. JAIN,
Member Secretary.

(190-A-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फरीदा हुसैन पत्नि श्री सैयद शाकिर हुसैन, आयु व्यस्क, निवासी जी-7, रामनगर कॉलोनी, शाहजहांनाबाद, वार्ड नं. 9, भोपाल, मध्यप्रदेश की निवासी हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम फरीदा कौसर पुत्री श्री शेख मेहबूब, बेलदारपुरा, भोपाल था तथा मेरी जन्मतिथि दिनांक 10 फरवरी, 1958 है. मेरा विवाह वर्ष 1992 में सैयद शाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री एताफ हुसैन से हुआ. विवाह उपरान्त वर्ष 1992 में मेरा नाम फरीदा हुसैन पत्नि सैयद शकिर हुसैन हो गया. वर्ष 1993 में मेरे शपथ-पत्र के द्वारा नाम परिवर्तन के मेरे निवेदन के उपरान्त एवं इस आधार पर शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम सैयदा फरीदा हुसैन पत्नि सैयद शकिर हुसैन हो गया. वर्तमान और भविष्य में मैं, अपना नाम फरीदा हुसैन पत्नि सैयद शाकिर हुसैन करना चाहती हूं. अब आज दिनांक से मुझे फरीदा हुसैन पत्नि सैयद शाकिर हुसैन पढ़ा और लिखा जावेगा तथा केवल इस नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा. आज तिथि के पूर्व के समस्त पत्राचार, आवेदनों, दस्तावेजों और अभिलेखों में जहां कहीं भी मेरे नाम फरीदा कौसर या सैयदा फरीदा हुसैन लेख या उल्लेख किया गया है, उन समस्त दस्तावेजों में तथा वर्तमान एवं भविष्य के सभी शासकीय न्यायिक, व्यक्तिगत और वैधानिक पत्राचार, आवेदनों, दस्तावेजों और अभिलेखों में मेरा नाम फरीदा हुसैन पत्नि सैयद शाकिर हुसैन पढ़ा, लिखा मान्य किया जावे और मुझे फरीदा हुसैन पत्नि सैयद शकिर हुसैन के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(फरीदा कौसर)

नया नाम :

(फरीदा हुसैन)

(183-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम हरीश छाबड़ा था अब मुझे हर्ष छाबड़ा पिता राकेश छाबड़ा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(हरीश छाबड़ा)

नया नाम :

(हर्ष छाबड़ा)
पिता राकेश छाबड़ा,
148, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर.

(184-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि मैं, श्रीमति नीमी सुनिल जोली निवासी-32, प्रकृति इन्कलेव, नियर बंगाली स्कवेयर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ने 14 जून, 2001 पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश से पासपोर्ट नं. एजी 730603 प्राप्त किया था जिसमें मैंने अपना पुराना नाम जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित था से बनवाया था. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर पूर्व नाम नीमी के स्थान पर नया नाम रचना जोली रख लिया है. अत: मुझे भविष्य में मेरे पुराने नाम नीमी के स्थान पर मुझे मेरे नए नाम रचना जोली के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(नीमी जोली)

नया नाम :

(रचना जोली)
निवासी—32, प्रकृति इन्कलेव,
नियर बंगाली स्कवेयर, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(185-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अली हैदर पिता श्री शब्बीर हुसैन था. मेरा स्कूल रिकार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में भी यही नाम है किन्तु मेरा नाम अब परिवर्तन कर मुर्तज़ा पिता शब्बीर हुसैन कर दिया है. अत: सर्व-साधारण मुझे मुर्तज़ा पिता शब्बीर हुसैन के नाम से जानें व पुकारें.

पुराना नाम :

(अली हैदर)
पिता शब्बीर हुसैन

नया नाम :

(मुर्तज़ा)
पिता शब्बीर हुसैन,
49, जनता कॉलोनी, जावरा, जिला-रतलाम.

(186-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम राजेश कुमार माहेश्वरी था, अब मेरा नाम बदलकर राजेश कुमार मालानी हो गया है. अत: अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(राजेश कुमार माहेश्वरी)

(187-बी.)

नया नाम :

(राजेश कुमार मालानी)

22/47, अग्रवाल नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल कुमार चौधरी, निवासी गरोठ सर्व-साधारण सूचनार्थ घोषित करता हूं कि मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी था तथा इसी नाम से जाना जाता रहा हूं किंतु अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है और मैं अब राहुल कुमार चौधरी के बजाय राहुल जैन के नाम से जाना जाता हूं. अब मेरा नाम राहुल जैन है.

पुराना नाम :

(राहुल कुमार चौधरी)

(188-बी.)

नया नाम :

(राहुल जैन)

जैन मोहल्ला, गरोठ,

जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम यास्मिन ज़ाकी था. जो अब परिवर्तित होकर तस्नीम बन्नतवाला हो गया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम तस्नीम बन्नतवाला के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(यास्मिन ज़ाकी)

(189-बी.)

नया नाम :

(तस्नीम बन्नतवाला)

22, खातीवाला टैंक,इन्दौर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रिंकू पिता नरेन्द्र ठाकुर था. विवाह उपरान्त मेरे ससुराल वालों ने नाम परिवर्तित कर रितिशा पति रितेश जैन रख दिया था. अब मैं अपने नाम को पुन: परिवर्तित कर रिंकू पति रितेश जैन कर रही हूं. अत: अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(रितिशा जैन)

(191-बी.)

नया नाम :

(रिंकू जैन)

16/1, साऊथ तुकोगंज,

इन्दौर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णराज पाण्डे घोषणा करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम कृष्णराधा पाण्डे था, नाम परिवर्तन के बाद मुझे कृष्णराज पाण्डे के नाम से पहचाना जावे. शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उक्तानुसार परिवर्तन भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(कृष्णराधा पाण्डे)

(192-बी.)

नया नाम :

(कृष्णराज पाण्डे)

निवासी-बी-402, सी.आई. होम्स, माता मंदिर

के सामने, साऊथ टी.टी. नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.).

सार्वजनिक सूचना

वेल्स्पन सोलर मध्यप्रदेश प्रा. लिमि. जिसका पंजीकृत दफ्तर वेल्स्पन हाउस, 7 वीं मंजिल, कमला सिटी, एस.बी मार्ग, लोअर पेरल (पश्चिम), मुंबई-400013 है, मध्यप्रदेश सरकार से आवेदन करना चाहता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा-164 के अन्तर्गत उसे विद्युत तार बिछाने, विद्युत के ट्रांसमिशन के लिए प्लांट लगाने के लिए अधिकृत किया जाये एवं आवश्यक कार्य संबंधित समन्वय के लिए टेलीफोनिक और टेलीग्राफिक ट्रांसमिशन हेतु भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के अन्तर्गत टेलीग्राफ लाईन लगाने और रख-रखाव करने का कार्य जो सरकार द्वारा किया जाता था और जिसका अधिकार टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, उसका दायित्व लेना एवं सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, एरेक्शन या अन्य कार्य एवं निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजना संबंधित कार्यों का दायित्व लेना.

ग्राम भगवानपुरा स्थित 130 मेगावॉट सोलर जनरेटिंग प्लांट से शुरू होने वाली 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन को एम पी पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि. (एमपीपीटीसीएल) 132 केवी रतनगढ़ सबस्टेशन तक.

1. भगवानपुरा स्थित 130 मेगावॉट सोलर जनरेटिंग प्लांट से एमपीपीटीसीएल की 132 केवी रतनगढ़ सबस्टेशन तक 24 किमी की 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन.

2. एमपीपीटीसीएल की 132 केवी रतनगढ़ सबस्टेशन पर 2, 132 केवी बे का निर्माण.

उपरोक्त योजना अंतर्गत ट्रांसमिशन लाईन निम्नलिखित गांव, नगर एवं शहर के इर्द-गिर्द व उपर से गुजरेगी.

1. भगवानपुरा, चिरमीकेड़ा, गुड़ाहोला, गुरड़िया, रामनगर (सुथोली) बेतीबावड़ी चौकी, जेतपुरा, बरेखन गुजंलिया (रतनगढ़), ब्रहम्पुरी, तहसील- जावद एवं सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश अधोहस्ताक्षरी के दफ्तर में मार्ग संबंधी नक्शा उपलब्ध है. जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ट्रांसमिशन संबंधी इस सूचना के प्रकाशन तारीख से 2 माह के अंदर अपने विचार या प्रतिनिधित्व अधोहस्ताक्षरी के दफ्तर में लिखितरूप में प्रस्तुत करें. विशेष जानकारी एवं स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क करें.

नाम	बी.बी. सिंह	रघुनाथ महापात्रा
पद	साइट इंचार्ज	वाइस प्रेसीडेंट
पता	वेल्स्पन सोलर एम.पी.प्रा. लिमि. गांव भगवानपुरा डीकेन, तहसील- जावद, जिला नीमच, मध्यप्रदेश.	वेल्स्पन सोलर एम.पी. प्रा. लिमि. तीसरी मंजिल, पी.टी.आई. बिल्डिंग 4, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001.
ई.मेल पता	vbsingh56@gmail.com	raghunath_mahapatra@welspun.com
फोन नं./फैक्स नं.	-918349996129	911166034600-91, 1166273091

(मुकेश सिंघानिया)
मैनेजर कार्पोरेट अफेयर्स,
वेल्स्पन सोलर, मध्यप्रदेश प्रा. लि.

(193-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

ग्वालियर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

क्र./भण्डार/( )/2012/3641.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर की साफ-सफाई एवं गमलों के रख-रखाव का कार्य ठेके पर देने हेतु संबंधित अनुभवी ठेकेदारों/व्यवसाईयों से बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं.—

2. निविदा पत्र दिनांक 07 नवम्बर, 2012 तक कार्यालय उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर से कार्यालयीन समय में निविदा पत्र का मूल्य रुपये 100.00 नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है.

3. निविदायें द्वि-लिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं. निविदा प्रपत्र क्रमांक 'क' में निविदा से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी एवं प्रमाण-पत्र एक लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे. निविदा प्रपत्र ख I व II कमर्शियल निविदा में सफाई तथा गमलों का रख-रखाव कार्य की वार्षिक दर स्पष्ट भरी जावे. यह दोनों निविदा पत्र भी पृथक्-पृथक् लिफाफों में आवश्यक पूर्तियां की जाकर पृथक् रखे जावे तथा उक्त सभी लिफाफों को एक लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत किया जावे.

4. निविदायें दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं तकनीकी निविदा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जावेगी. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के समक्ष कमर्शियल निविदा बाद में खोली जायेंगी.

विलास मंथनवार,
उप-नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर.

(525)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग बागली, जिला देवास

बागली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2012

फॉर्म नम्बर-3

[देखिये नियम-4 (2)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस 1951) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बाबद]

समक्षः- लोक न्यास ट्रस्ट, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश.

क्र./ /रीडर/1/2.—चूंकि श्री श्री श्री गोविन्दधाम न्यास मण्डल मा बगुलामुखी शक्तिपीठ खजूरिया, बीना चूंकि इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुये जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबद मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है या रखे कि ऊपर दिये गये अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिनका उक्त बाबद कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, यह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें और मेरे समक्ष दिनांक 09 नवम्बर, 2012 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त आपत्ति विचार योग्य नहीं माना जावेगी.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	..	श्री श्री श्री गोविन्दधाम न्यास मण्डल मा बगुलामुखी शक्तिपीठ खजूरिया, बीना, जिला देवास (मध्यप्रदेश).
2. चल सम्पत्ति	..	76,860/- रुपये अक्षरी छियत्तर हजार आठ सौ साठ.
3. अचल सम्पत्ति	..	भूमि सर्वे नं. 94 रकबा 0.40 हे. ग्राम खजुरिया, बीना.

वर्षा भूरिया,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(508)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, रायसेन

रायसेन, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1982 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्षः- रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जैसा कि श्री अशोक कुमार साहू प्रमुख न्यासधारी निवासी—ग्राम अम्बाडी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन श्री राम जानकी मंदिर समिति ग्राम अम्बाडी, जिला रायसेन ने अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को विचार हेतु रखा जावेगा. कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति/सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो. अवधि समाप्ति के बाद उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	..	श्री राम जानकी मंदिर समिति, ग्राम अम्बाडी, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश).
ट्रस्ट की सम्पत्ति	..	भूमि 40 × 40 =1600 वर्गफिट.
वार्षिक आय-व्यय	..	30,000/- रुपये.

बी. एस. ईवने,
अनुविभागीय अधिकारी .

(524)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

प्र. क्र. 01/2012-13/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री सतीश सिंह सिकरवार पुत्र श्री जयराज सिंह सिकरवार, निवासी—शंकर चौक, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 नवम्बर, 2012 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 नवम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता .. जन उत्थान न्यास, शंकर चौक, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर शहर व जिला ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति .. 3,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति .. निरंक

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
पंजीयक.

(522)

ग्वालियर, दिनांक 13 अगस्त, 2012

प्र. क्र. 01/11-12/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2)और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री रामचरण लाल शर्मा पुत्र स्व. भूरेलाल शर्मा, निवासी—आमखो कम्पू, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951,(1951 की 30) धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता .. श्री हनुमान सिद्धधाम मंदिर न्यास स्थित आमखो कम्पू रोड, जे. ए. हॉस्पीटल से लगा हुआ शहर व जिला ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति .. 11,000/-रुपये.
3. अचल सम्पत्ति .. मकान व खुली जगह स्थित आमखो, लश्कर, ग्वालियर.

अजय देव शर्मा,
पंजीयक.

(523)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

आदित्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./150, दिनांक 12 अप्रैल, 1989 की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष 2008-09 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

ए.पी.एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ए.पी.एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./ 295, दिनांक 15 जनवरी, 2001 की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./288, दिनांक 23 जनवरी, 2001 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितितायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./358, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितितायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-C)

ग्वालियर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

रक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार रक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./135, दिनांक 23 जून, 1987 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

सांई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./352, दिनांक 29 अगस्त, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

चितरंजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार चितरंजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./403, दिनांक 28 जनवरी, 2008 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय

लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./322, दिनांक 31 मार्च, 2011 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

बाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./332, दिनांक 27 जनवरी, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

आशीर्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीर्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./388, दिनांक 16 फरवरी, 2005 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./122, दिनांक 26 मई, 1986 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2008-09, 2010-11 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2008-09, 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

विमल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./361, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसंभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./399, दिनांक 21 नवम्बर, 2006 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उप नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./378, दिनांक 24 अगस्त, 2006 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(515-M)

ग्वालियर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

सांई भक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2012/2099.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांई भक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./365, दिनांक 27 नवम्बर, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. वाजपेई,

(515-N) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला धार

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, धार
प्रभारी अधिकारी,
आदिवासी मस्त्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., साकल्दा
पोस्ट साकल्दा, तहसील मनावर, जिला धार
(पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 15 जुलाई, 1996)

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., साकल्दा तहसील मनावर, जिला धार संस्था द्वारा ग्राम साकल्दा एवं चिड़ियापुरा के डूब प्रभावित ग्रामीणों जो संस्था की पंजीकृत उपविधि के अन्तर्गत सदस्यता की पात्रता रखते हैं. ऐसे डूब प्रभावित पात्र ग्रामीणों को संस्था का सदस्य बनाये जाने एवं संस्था के अपात्र सदस्यों को संस्था की सदस्यता से निष्कासित किये जाने हेतु कलेक्टर, जिला धार द्वारा संस्था के विरुद्ध गंभीर शिकायत के संदर्भ में आदेश क्रमांक 2178/म/सि/2007-08, दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच कमेटी गठित किया जाकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया. प्राप्त जांच प्रतिवेदन का विवरण निम्नानुसार है:—

1. कार्यक्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को सदस्य बनाना—

संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार संस्था का कार्यक्षेत्र साकल्दा (तालाब) प्रतापपुरा डाबिया, पो. कालीबावडी तक सीमित है. अतः स्पष्ट है कि संस्था कार्यक्षेत्र साकल्दा तालाब में जिन लोगों की जमीन डूब में गई है, साकल्दा, प्रतापपुरा, दाबिया ग्राम तक सीमित है.

संस्था के सदस्य रजिस्टर अनुसार संस्था के कुल 55 सदस्य हैं. अवलोकन में पाया गया कि संस्था के 36 सदस्य संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं.

2. संचालक मण्डल की विधि अनुसार बैठक नहीं होना/कोरम का अभाव—

संस्था की उपविधि क्रमांक 32 प्रबंध समिति की बैठकों की आवृत्ति (2) के अनुसार किसी भी स्थिति में कम से कम प्रत्येक तीन माह में प्रबंध समिति की एक बैठक करना अनिवार्य होगा. संस्था के संचालक मण्डल की निम्न बैठक कर अवलोकन किया गया जिसमें मात्र अध्यक्ष कालू के हस्ताक्षर हैं. अन्य संचालकों के हस्ताक्षर नहीं होने से संचालक मण्डक की बैठकों 1. 16 अगस्त, 2005, 2. 25 मार्च, 2006, 3. 25 जून, 2006, 4. 30 सितम्बर, 2006, 5. 5 अक्टूबर, 2006, 6. 3 अप्रैल, 2007, 7. 10 जून, 2007, 8. 6 सितम्बर, 2007 विधि अनुसार नहीं है. मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 43 (6) अनुसार कोरम के लिए आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है. उक्त बैठकों में कोरम की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि संस्था की गतिविधियों का संचालन मात्र कालू द्वारा ही संचालित की जा रही है. स्पष्ट है कि संचालक मण्डल निष्क्रिय है. संस्था द्वारा उपविधि का पालन नहीं किया गया.

3. आमसभा की बैठक आयोजित नहीं होना—

1996 से 2006 तक संस्था की आमसभा का आयोजन होना नहीं पाया गया. एक मात्र आमसभा की बैठक दिनांक 30 मार्च, 2007 को आयोजित की गई जिसकी सूचना धारा-49 (2) अनुसार कार्यालय को भेजा जाना नहीं पाया गया. अधिनियम की धारा-49 (1) (क) (ग) (घ) (ड) (च) का पालन नहीं किया गया.

4. समितियों के सदस्यों का मत्स्याखेट नहीं करना/शंकास्पद होना—

संस्था की महिला सदस्यों द्वारा अपने कथन में अवगत कराया कि उनके स्वयं के द्वारा मत्स्याखेट नहीं किया जाता है बल्कि उनके पुत्र/पति मत्स्याखेट करते हैं तथा उनके द्वारा संस्था से मछली क्रय कर बेची जाती है. स्पष्ट है कि इन महिला सदस्यों के पुत्र/पति जो संस्था के सदस्य नहीं हैं उनके द्वारा मत्स्याखेट करना मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 29 के तहत आपत्तिजनक है. संस्था के उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था से मछली क्रय कर बेची जाती है, लेकिन कोई भी सदस्य यह नहीं बता सका कि उसके द्वारा कितनी मछली संस्था से क्रय की गई संस्था में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसने सदस्यों को कितनी-कितनी मछली कब-कब बेची है इसका उल्लेख संस्था की केशबुक में भी होना नहीं पाया गया. संस्था में मत्स्याखेट रजिस्टर भी संधारित नहीं है. अतः संस्था सदस्यों से मछली पकड़ने का कार्य शंकास्पद है.

5. डूब प्रभावित का प्रमाण-पत्र नहीं लेना—

मत्स्या नीति अनुसार सिंचाई जलाशय पर गठित होने वाली मत्स्य नीति समिति में विस्थापितों को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं. संस्था अध्यक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई विभाग, मनावर द्वारा साकल्दा जलाशय में विभिन्न गांवों के डूब प्रभावित 111 कृषकों की सूची प्रस्तुत की गई. संस्था के अधिकांश उपस्थित सदस्यों द्वारा कहा गया कि वह डूब प्रभावित है, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा डूब प्रभावित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. प्रमाण के अभाव में उनके बयानों को प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है. संस्था द्वारा 06 डूब प्रभावित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए लेकिन उनमें 01 सदस्य का प्रमाण-पत्र ही पाया गया. संस्था अध्यक्ष द्वारा बताया गया संस्था के सदस्यों के बाप, दादाओं की जमीन डूब आयी है लेकिन प्रमाण के अभाव में कथन सही नहीं कहा जा सकता है. अत: मत्स्य नीति अनुसार वास्तविक विस्थापितों/डूब प्रभावितों को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाकर मत्स्य नीति का उल्लंघन किया है.

6. अध्यक्ष के पद हेतु अपात्र होना—

संस्था का अध्यक्ष कालू पिता बालू दिनांक 15 जुलाई, 1996 से लगातार संस्था का अध्यक्ष है, उसे लगातार 11 वर्ष हो चुके हैं, अत: उनके द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-48 (क) (5) अनुसार अपात्रता धारण कर ली है.

7. संस्था का रिकार्ड संधारित नहीं होना—

संस्था के पास 2005 के पूर्व की कार्यवाही पुस्तिका, 1996 से 2006 तक की मत्स्याखेट पंजी किस सदस्य से कितनी मछली कब-कब क्रय की गई की जानकारी नहीं है.

8. विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करना:—

दिनांक 8 मई, 2006 को साकल्दा के 37 सदस्यों/व्यक्तियों द्वारा एवं चिडिपुर के 29 सदस्यों/व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन-पत्र कलेक्टर धार को प्रेषित कर शिकायत की गई की समिति में स्थानीय सदस्यों/व्यक्तियों को सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, सदस्य बनाया जावे. दिनांक 14 जून, 2006 को इन्हीं सदस्यों द्वारा पुन: आवेदन देकर निवेदन किया गया कि इन्हें सदस्य बनाया जाये. समिति में अपात्र एवं बाहरी व्यक्ति होने का उल्लेख करते हुए स्थानीय विस्थापित परिवारों को समिति का सदस्य बनाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है. इसके पूर्व भी दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को कलेक्टर, धार को स्थानीय 54 सदस्यों/व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अपात्र सदस्यों को निकालने एवं नये सदस्यों को शामिल किये जाने का आवेदन दिया गया. प्राप्त शिकायत के संदर्भ में सहायक संचालक (मत्स्य) धार द्वारा संस्था को पत्रांक 714, दिनांक 12 मई, 2006 से लिखा गया कि संस्था में बी. पी. एल. सदस्यों को शामिल कर अवगत कराएं लेकिन संस्था द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया. पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुल 22 सदस्यों में से केवल 12 सदस्य ही मत्स्य पालन का कार्य करते हैं. साकल्दा जलाशय का औसत जलक्षेत्र 221.97 हेक्टर के मान से है जो प्रति सदस्य 4 हेक्टर के मान से 55 सदस्यों को लाभान्वित किया जा सकता है. परन्तु संस्था द्वारा निर्देशानुसार डूब प्रभावितों/बी.पी. एल. सदस्यों को शामिल नहीं कर निर्देशों का उल्लंघन किया गया है.

9. समिति द्वारा फर्जी भ्रामक एवं असत्य जानकारी देना—

सहायक संचालक, मत्स्योद्योग धार के पत्र दिनांक 12 मई, 2006 के संदर्भ में समिति के अध्यक्ष श्री कालू द्वारा सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, धार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, धार को पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2006 आवक क्रमांक 2279, दिनांक 17 जुलाई, 2006 से अवगत कराया कि आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., साकल्दा की बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2006 में 30 नये सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाकर उनके अंश राशि एवं हिस्सा राशि बैंक में जमा करवा दी गई है. उनके द्वारा संलग्नक में 30 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त सूची भी दी गई है, परन्तु कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त दिनांक 8 जुलाई, 2006 को संचालक मण्डल की कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई है. कार्यवाही विवरण दिनांक 25 जून, 2006 के पश्चात दिनांक 30 सितम्बर, 2006 को लिखी गई है. जिसमें मात्र श्री कालू अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, इस प्रकार संस्था अध्यक्ष श्री कालू द्वारा फर्जी असत्य नये सदस्यों के भर्ती करने संबंधी जानकारी दी गई.

सहायक संचालक, मत्स्योद्योग एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2008 को ग्राम साकल्दा में संस्था की आमसभा रखी थी जिसमें 13 सदस्य ही उपस्थित हुए. आमसभा में बिन्दु क्रमांक 4 एवं 5 निम्नानुसार थे:—

1. संस्था की पंजीकृत उपविधि क्रमांक 2 एवं 4 में संशोधन.
2. संस्था के अपात्र सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने एवं पात्रताधारी सदस्यों की सदस्यता की स्वीकृति बाबद.

उक्त दोनों प्रस्ताव विधिसम्मत, मत्स्य नीति एवं सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के पालन में प्रस्तावित थे किन्तु सूचना बाद भी मात्र 13 सदस्य उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा उक्त विधि सम्मत प्रस्तावों का विरोध किया, विरोध का कोई विधिसम्मत कारण दर्ज नहीं किया.

अत: उपरोक्त जांच प्रतिवेदन से प्रकाश में आये तथ्यों एवं दिनांक 14 फरवरी, 2008 की आयोजित बैठक में तारतम्य में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार बाहरी लोग का दखल, वर्तमान सदस्यों की निष्क्रियता, बैठकों में रूचि नहीं लेना. मत्स्य नीति एवं सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधियों का पालन नहीं करने से परिसमापन की अनुशंसा की है.

वास्तविक डूब प्रभावितों को सदस्य नहीं बनाये जाने से 10 सितम्बर, 2007 को व्यक्तियों द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दी थी. जिससे लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.

कलेक्टर जिला धार ने अपने पत्रांक 1901/म./शिकायत/07-08 धार, दिनांक 7 जून, 2007 से विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी कार्यालय मुख्यमंत्री निवास मध्यप्रदेश शासन को लिखे पत्रानुसार उक्त संस्था के पास साकल्दा जलाशय पर पट्टा अवधि 30 जून, 2006 थी. जो समाप्त हो चुकी. संस्था को आगे पट्टा नहीं दिया गया है.

अत: जिन प्रयोजनों के लिये सोसायटी रजिस्ट्रीकृत की गई है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है. संस्था में सदस्यों द्वारा प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है. सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है एवं संस्था के गठन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है.

अत: मैं भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) की पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्यों न संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जावे. यदि इस संबंध में आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका रहेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,
उप-पंजीयक.

(516)

कार्यालय परिसमापक, प्रोन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरेलीकलां, विकासखण्ड धनौरा, जिला सिवनी

दिनांक 31 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रोन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरेलीकलां विकासखण्ड धनौरा जिला सिवनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 867, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी के आदेश क्रमांक 1018 दिनांक 25 जुलाई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में लेनदार गण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि उक्त अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा बाद में मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के झारिया,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(517)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री. . . . . .पिता श्री. . . . . .संचालक

निषाद राज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी
विकास खण्ड रहली, जिला सागर.

द्वारा : अध्यक्ष, निषाद राज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी

निषाद राज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी, विकास खण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1310,

दिनांक 18 जून, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 में गंभीर अनियमितता पाये जाने का उल्लेख किया गया है. प्रतिवेदन पर सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण)जिला सागर द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार संस्था अकार्यशील है. अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं:—

1. निषाद राज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी, विकास खण्ड, रहली, जिला सागर, मध्यप्रदेश रहली से ग्राम तिन्सी तक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, यह दूरी 08 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिये.
2. संस्था के अधिकांश सदस्य रहली के हैं.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई कार्य नहीं किया गया.
4. संस्था की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कार्य नहीं किया गया.
5. संस्था के पास कोई भी तालाब नहीं है. सदस्यों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
6. संस्था को कार्यशील बनाने हेतु कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
7. पंजीयन दिनांक से संस्था अकार्यशील है.

अत: संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था के सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. जिससे संस्था के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, कि क्यों न अकार्यशील रहने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(518)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

श्री. . . . . .पिता श्री. . . . . .संचालक

अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार, सागर
विकास खण्ड सागर, जिला सागर.

अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार, सागर विकास खण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 24 जून, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के निर्वाचन हेतु कार्यालयीन संशोधित आदेश क्र./निर्वा./11/867, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के द्वारा कु. विमला सोनी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था. निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 जून, 2012 द्वारा गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया. प्रतिवेदन पर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला सागर के अभिमत अनुसार संस्था विगत 3 वर्ष से अकार्यशील है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं:—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

2. संस्था का कोई कार्यालय नहीं है.

3. संस्था के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का कोई पता नहीं है.

4. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई निर्वाचन नहीं कराया गया.

5. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था की पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है.

6. अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण विगत वर्ष की टीप की पुनरावृत्ति की गई.

संस्था के सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. जिससे संस्था के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, कि क्यों न अकार्यशील रहने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

(518-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1159.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./936, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा पर्यावरण वाहिनी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 778, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए पर्यावरण वाहिनी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 778, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1160.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./926, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा शिक्षित बेरोजगार कल्याण (मुद्रण) सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 405, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए शिक्षित बेरोजगार कल्याण (मुद्रण) सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 405, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-A)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1161.— कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./923, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा प्राथ. खदान स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 288, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए प्राथ. खदान स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 288, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-B)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./2012/1162.— कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि.//925, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा बैनगंगा महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 759, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99- पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए बैनगंगा महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 759, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-C)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1163.— कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./928, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा भारत माता बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 349, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए भारत माता बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 349, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-D)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1164.— कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./930, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा वंशकार बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 809, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 को द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए वंशकार बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 809, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-E)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1165.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./931, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 771, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 771, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-F)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1166.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./938, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा श्रीराम कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारबोड़ी पं. क्र. 820, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए श्रीराम कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारबोड़ी पं. क्र. 820, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-G)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1167.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./921, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 616, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 616, विकासखंड सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-H)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1168.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./932, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा महात्मा फल, फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरघाट पं. क्र. 766, विकासखंड बरघाट, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए महात्मा फल, फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरघाट पं. क्र. 766, विकासखंड बरघाट, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बरघाट को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.

(519-I)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर-2012-कार्तिक 11, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल (श्योपुर), ग्वालियर (ग्वालियर), भाण्डेर (दतिया), करैरा (शिवपुरी), गुना (गुना), जतारा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), रहली, देवरी, राहतगढ़ (सागर), पथरिया (दमोह), रामपुर-बघेलान, मैहर (सतना), सिरमौर, गुढ़ (रीवा), चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), सुवासरा-टप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, संजीत, धुन्धड़का, शामगढ़ (मंदसौर), नीमच, मनासा (नीमच), उज्जैन (उज्जैन), थांदला, राणापुर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, भामरा, सोण्डवा, कट्टीबाड़ा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, गंधवानी, डही (धार), महेश्वर, खरगौन, कसराबद (खरगौन), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, अंजड, बरला (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, व्यावरा, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), सिरोंज, नटेरन, विदिशा (विदिशा), हुजूर (भोपाल), भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर (होशंगाबाद), गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, खनियाधाना, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), मुंगावली (अशोकनगर), राघोगढ़, आरोन (गुना), निवाड़ी, वल्देवगढ़, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), राजनगर, बकस्वाहा (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), सागर, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन (सतना), हनुमना, हजूर (रीवा), सिंहाबल (सीधी), भानपुरा (मंदसौर), जावद (नीमच), महिदपुर (उज्जैन), मेघनगर, पेटलाबद (झाबुआ), भीकनगांव (खरगौन), पानसेमल, निवाली (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), बासौदा (विदिशा), सीहोर (सीहोर), आमला (बैतूल), इटारसी, वनखेड़ी (होशंगाबाद), जबलपुर (जबलपुर), विजयराघवगढ़ (कटनी), करेली (नरसिंहपुर), निवास (मण्डला), केवलारी, छपारा (सिवनी), बारासिवनी (बालाघाट)में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), दतिया (दतिया), ईसागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर), बमोरी,

कुंभराज (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), बिजावर (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), बण्डा, शाहगढ़ (सागर), दमोह (दमोह), मझगवां, नागोद (सतना), जैसिंहनगर, बुढ़ार (शहडोल), खाचरोद, नागदा (उज्जैन), लटेरी, ग्यारसपुर (विदिशा), सिवनी, मालवा, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), कुन्डम (जबलपुर), कटनी, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), गाडरबाड़ा, नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), घुघरी (मण्डला), लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील डबरा (ग्वालियर), सेंवढ़ा (दतिया), चन्देरी (अशोकनगर), लौण्डी, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई (पन्ना), बीना, खुरई, मालथौन (सागर), हटा, बटियागढ़, जवेरा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), रामनगर (सतना), त्यौंथर, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, जैतपुर, गोहाक (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदवनास, कुसमी (सीधी), बड़नगर (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, आगर, बड़ोद, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), कुरवाई (विदिशा), जावर, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), सीहोरा, पाटन, मझौली (जबलपुर), रीठी, बहोरीबंद (कटनी), बिछिया, नैनपुर, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, जामई, सोंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई , मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, घंसौर (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील परासिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, जबलपुर, कटनी, मण्डला व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है तथा श्योपुर ग्वालियर, दमोह, सीहोर, बैतूल, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, व बालाघाट में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला सीधी में फसल मक्का, ज्वार व डिण्डोरी में सोयाबीन, राहर व श्योपुर, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, राजगढ़, भोपाल, हरदा, जबलपुर, कटनी, मण्डला, छिन्दवाड़ा व इन्दौर में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.— . .

5. कटाई.— . .

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, नरसिंहपुर तथा छिन्दबाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
***जिला मुरैना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	45.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	8.0		(2) . .		
3. विजयपुर	24.6				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	3.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	76.0		(2) . .		
3. भितरवार	22.7				
4. घाटीगांव	27.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	75.0		4. (1) . .	6. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	38.0		(2) . .		
3. भाण्डेर	4.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	22.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .		
3. खनियाधाना	30.0				
4. नरवर	32.0				
5. करैरा	13.0				
6. कोलारस	22.0				
7. पोहरी	27.0				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	30.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	40.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	35.0				
4. चन्देरी	60.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	16.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. . .
2. राघोगढ़	32.0		(2) . .	. .	
3. बमोरी	38.0				
4. आरोन	22.0				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	39.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	19.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	54.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	10.0				
4. मोहनगढ़	. .				
5. टीकमगढ़	33.0				
6. लिधौरा	. .				
7. बल्देवगढ़	24.0				
8. खरगापुर	. .				
9. पलेरा	40.0				
10. ओरछा	2.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	123.0	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	9.8				
5. राजनगर	25.2				
6. बिजावर	35.0				
7. बड़ामलहरा	146.6				
8. बकस्वाहा	30.8				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	62.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	75.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	42.0				
4. पवई	76.5				
5. शाहनगर	30.6				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	64.6	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	82.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	35.0				
4. सागर	25.6				
5. रेहली	7.0				
6. देवरी	1.0				
7. गढ़ाकोटा	21.6				
8. राहतगढ़	2.0				
9. केसली	33.0				
10. मालथोन	54.4				
11. शाहगढ़	40.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	122.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	57.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	53.0				
4. पथरिया	15.0				
5. जवेरा	73.0				
6. तेन्दूखेड़ा	62.8				
7. पटेरा	33.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	26.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	41.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	5.0				
4. नागौद	44.4				
5. उचेहरा	22.0				
6. अमरपाटन	23.0				
7. रामनगर	124.0				
8. मैहर	3.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	65.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	9.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	..				
5. हनुमना	18.0				
6. हजूर	20.0				
7. जबा	..				
8. गुढ़	7.2				
9. रायपुरकर्चुलियान	81.0				
10. नईगढ़ी	..				
11. मनगवां	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	61.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	46.0				
4. जैतपुर	83.0				
5. बुढ़ार	38.1				
6. गोहाक	84.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जेतहरी	81.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	97.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	154.0				
4. पुष्पराजगढ़	110.6				
***जिला उमरिया :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पाली	..		(2) ..		
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का,ज्वार	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	58.2	की बोनी का कार्य चालू हैं.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	33.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		.		
4. कुसमी	80.0				
5. चुरहट	9.7				
6. रामपुरनैकिन	3.7				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली					
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	3.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	24.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	5.0				
4. गरोठ	8.2				
5. मन्दसौर	3.0				
6. धुन्धडका	4.0				
7. सीतामऊ	. .				
8. शामगढ़	7.4				
9. संजीत	14.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	22.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	9.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	3.2				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	51.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	25.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	8.0				
6. बड़नगर	64.0				
7. नागदा	46.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	85.0	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	175.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	156.0				
4. आगर	115.0				
5. बड़ौद	84.0				
6. शाजापुर	82.4				
7. शुजालपुर	84.0				
8. कालापीपल	94.0				
9. गुलाना	108.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	16.9	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	19.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	19.1				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	10.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	0.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	0.14		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. उदयगढ़	1.9				
4. भामरा	2.0				
5. सोण्डवा	0.22				
6. कट्ठीवाड़ा	1.19				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	2.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	12.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	1.8				
4. कुक्षी	3.5				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	15.0				
8. डही	12.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	7.0				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	2.2				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	5.0				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	24.0				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	10.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	3.0				
4. सेंधवा	3.0				
5. पानसेमल	26.0				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	26.0				
8. अंजड	10.4				
9. वरला	3.0				
जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	6.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	28.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	2.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	7.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	20.4				
4. पचोर	. .				
5. ब्यावरा	4.4				
6. सारंगपुर	. .				
7. नरसिंहगढ़	2.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	37.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	14.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	54.2				
4. बासौदा	34.6				
5. नटेरन	17.0				
6. विदिशा	12.0				
7. ग्यारसपुर	51.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	15.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर 2. श्यामपुर	26.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. आष्टा 4. जोवट	117.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
5. इछावर	89.4				
6. नसरुल्लागंज	92.0				
7. बुधनी 8. रेहटी	117.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
1. भैसदेही	7.6	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	16.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	5.0				
4. चिचोली	7.3				
5. बैतूल	4.0				
6. मुलताई	14.6				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	22.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . . 3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.		
1. सिवनी-मालवा	47.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	4.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	12.0				
4. इटारसी	22.6				
5. सोहागपुर	8.0				
6. पिपरिया	41.3				
7. वनखेड़ी	27.7				
8. पचमढ़ी	37.6				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	44.2				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	148.6	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	81.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	34.1				
4. मझौली	82.1				
5. कुण्डम	52.9				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	45.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	55.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	21.0				
4. बहोरीबंद	54.0				
5. ढीमरखेड़ा	35.5				
6. बड़वारा	. .				
7. बरही	47.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	39.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	32.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	38.0				
4. गोटेगांव	12.0				
5. तेन्दूखेड़ा	15.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	33.5	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	94.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	182.8				
4. मण्डला	90.0				
5. घुघरी	37.5				
6. नारायणगंज	57.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. धान, सोयाबीन व राहर	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	76.1	की बोनी का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	16.6	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	116.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	81.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	254.9				
4. जामई (तामिया)	162.2				
5. सोंसर	151.6				
6. पांढुर्णा	119.4				
7. अमरवाड़ा	193.6				
8. चौरई	90.0				
9. बिछुआ	83.3				
10. हर्रई	198.4				
11. मोहखेड़ा	154.8				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	57.4	रोपाई का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	28.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	41.5				
4. बरघाट	65.2				
5. कुरई	68.0				
6. घंसौर	50.0				
7. धनोरा	183.1				
8. छपारा	24.1				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	65.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	56.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	79.5				
4. वारासिवनी	27.4				
5. कटंगी	178.6				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला मुरैना, उमरिया, रतलाम, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
(520) भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.